संख्या-14/2020/598/63-व0उ0-2020-56(एच)/2016

प्रेषक,

रमा रमण
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊ: दिनांकः 17 जुलाई, 2020

विषय:- धुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति की योजना के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-74 रुसह0 अनु0/2020-21 दिनांक 15.07.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना के नये दिशा निर्देश शासनादेश संख्या-1403/63व0उ0-2019-60(एच)/2016टी0सी0।। दिनांक 04 दिसम्बर 2019 द्वारा निर्गत किये जा चुके है। अतः पावरलूम बुनकरों की ही भांति धुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1668/63-व0उ0-2016-56(एच)/2016 दिनांक 23 दिसम्बर 2016 को अवक्रमित करते हुए धुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में निम्नानुसार नये दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे है:-

**I- योजना:-** **क-** प्रत्येक छोटे लूम(कार्डिंग मशीन) (0.5 अश्व शक्ति तक) के धुनकर को प्रति माह 120 यूनिट की सीमा तक रू0 3.50 प्रति यूनिट की दर से अनुमन्य प्रतिपूर्ति (सब्सिडी) दी जायेगी। शेष धनराशि सम्बन्धित धुनकर द्वारा स्वंय वहन की जायेगी। 120 यूनिट प्रति लूम प्रति माह से अधिक के उपभोग पर सम्बन्धित श्रेणी यथा एल0एम0वी0-2 या एल0एम0वी0-6 की सामान्य दरे लागू होगी।

**ख-** प्रत्येक बड़े लूम(कार्डिंग मशीन) (1 अश्व शक्ति तक) के धुनकर को प्रति माह 240 यूनिट की सीमा तक रू0 3.50 प्रति यूनिट की दर से अनुमन्य प्रतिपूर्ति (सब्सिडी) दी जायेगी। शेष धनराशि सम्बन्धित धुनकर द्वारा स्वंय वहन की जायेगी। 240 यूनिट प्रति लूम प्रति माह से अधिक के उपभोग पर सम्बन्धित श्रेणी यथा एल0एम0वी0-2 या एल0एम0वी0-6 की सामान्य दरे लागू होगी।

**ग-** कार्डिंग मशीन की प्री-पावरलूम गतिविधियां एवं पोस्ट पावरलूम गतिविधियों यथा साधारण कार्डिंग मशीन, गारनेट मशीन (चायना), एम0पी0 आर0 गारनेट मशीन एवं प्रैस मशीन एवं संबंधित अन्य मशीनों पर होने वाला विद्युत खपत भी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

उपरोक्त ''क' ' एवं ''ख' ' की अनुमन्य विद्युत सीमा 120 यूनिट एवं 240 यूनिट में शामिल माना जायेगा।

**II- लाभार्थियों की पात्रता एवं चयन की प्रक्रिया:-**

**(1)** यह योजना एल0एम0वी0-2(5 कि0वाट से कम भार) एवं एल0एम0वी0-6 तक (5कि0वा0 भार से 75 कि0वा0 भार तक) विद्युत कनेक्शन वाले केवल धुनकरों पर लागू होगी। यह योजना एल0एम0वी0-2(5 कि0वाट से कम भार) एवं एल0एम0वी0-6 (5कि0वा0 भार से 75 कि0वा0तक ) वाले पावरलूम विद्युत कनेक्शन वाले पावरलूम बुनकरों पर लागू होगी।

**(2)** योजना का लाभ उन्हीं धुनकरों को अनुमन्य होगा, जिनके पास सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र हो। लाभार्थी धुनकर की आयु 18 वर्ष से कम न हो और धुनकर के व्यवसाय में लगा हो। नये धुनकरों को योजना का लाभ लेने से पूर्व जिला उद्योग केन्द्र से धुनकर होने का प्रमाण पत्र निर्गत कराना होगा। धुनकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन दिया जायेगा। परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त (हथकरघा) धुनकरों से आधार कार्ड संख्या, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक का आई एफ.एस.सी. कोड,मोबाइल नम्बर एवं लूमों/संयंत्र/मशीनों की संख्या तथा अन्य वैयक्तिक सूचनायें प्राप्त करेंगे। धुनकरों के पास विद्युत विभाग में स्वय के नाम से विद्युत कनेक्शन होना अनिवार्य है।

**(3)** जिन परिक्षेत्रों में धुनकरों को विद्युत बिल में सब्सिडी प्रदान की जानी है, उस परिक्षेत्र से सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम (विद्युत विभाग) के अधिशासी अभियन्ता से पूर्व से विद्युत प्रतिपूर्ति का लाभ पा रहे धुनकरों की जनपदवार/ब्लाकवार/गांववार/ मोहल्लावार सत्यापित सूची हथकरघा विभाग के परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त प्राप्त करेंगे, जिसमें लूमो/संयंत्र/मशीन की संख्या एवं विद्युत भार एवं विद्युत कनेक्शन नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

**(4)** धुनकरों के विद्युत प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में विद्युत विभाग से प्राप्त धुनकरों की सूची का सत्यापन परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त अपने स्तर से भी करायेंगे।

**(5)** विद्युत विभाग से प्राप्त सूची का संयुक्त सत्यापन परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त या उनके प्रतिनिधि एवं विद्युत विभाग द्वारा नामित कार्मिक द्वारा किया जायेगा। सत्यापन कराकर संशोधित सत्यापित सूची निर्धारित प्रारूप पर, जिसमें सम्बन्धित विद्युत विभाग के अधीक्षण/ अधिशासी अभियन्ता एवं परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे। परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय को सत्यापित सूची संस्तुति सहित उपलब्ध करायेंगे।

**(6)** निदेशक हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग द्वारा उपलब्ध बजट के आधार पर लाभार्थियों की अधिकतम संख्या निर्धारित की जायेगी। सभी परिक्षेत्रों से प्रस्तर-(5) के अनुसार प्राप्त प्रस्तावित लाभार्थियों की संख्या यदि बजट सीमा के अनुसार निर्धारित अधिकतम संख्या से अधिक होती है तो विद्युत भार एवं लूमों/संयंत्र/मशीन की संख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और अधिकतम निर्धारित संख्या तक के लाभार्थियों की सूची उ0प्र0 पावर

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

कार्पोरेशन लि0 लखनऊ को अनुदान प्रदान करने हेतु प्रेषित की जायेगी।

**III- अनुदान के वितरण की प्रक्रियाः-**

**(1)** विद्युत वितरण निगमों द्वारा धुनकर के विद्युत संयोजन पर सम्पूर्ण ऊर्जा का बीजक समस्त प्रभारों/शुल्को सहित मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर करते हुये 0.5 अश्व शक्ति तक के धुनकरको अनुमन्य 120 यूनिट एवं 1.0 अश्व शक्ति तक के धुनकर को 240 यूनिट की सीमा तक रू0 3.50 प्रति यूनिट की दर से विद्युत दर में प्रतिपूर्ति करते हुये इनर्जी चार्ज एवं उससे अधिक यूनिटों को मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित एल0एम0वी0-2 या एल0एम0वी0-6 जो भी लागू हो के आधार पर इनर्जी चार्ज की दरों पर आगणित करते हुये धुनकरों के लिए निर्धारित अन्य समस्त प्रभारों/शुल्कों सहित बीजक निर्गत किया जायेगा। यदि खपत उपरोक्त वास्तविक सीमा से कम है तो वास्तविक खपत के अनुसार ही अनुदान योग्य यूनिट की गणना की जायेगी।

**(2)** अनुमन्य अनुदान योग्य यूनिट पर रू0 3.50 (तीन रूपया पचास पैसे) प्रति यूनिट के हिसाब से विद्युत दर में प्रतिपूर्ति की कुल धनराशि प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ के बैंक खाते में शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त हस्तांतरण की जायेगी।

**IV- योजना प्रारम्भ की तिथिः-**

यह योजना 01 जनवरी 2020 से लागू मानी जायेगी।

**V- योजना हेतु बजट/धनराशि की मांग:-**

**(1)** सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त (हथकरघा) द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को संकलित कर धनराशि का आगणन कर धुनकरों को विद्युत प्रतिपूर्ति दिये जाने हेतु बजट की मांग हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय द्वारा शासन से की जायेगी।

**(2)** उपलब्ध बजट सीमा में एक वर्ष की देय सब्सिडी को अगले वर्ष अग्रणीत नहीं किया जायेगा।

**VI- व्यय की प्रक्रियाः-**

बजट प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट व्यवस्था के अनुसार शासन से वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त धुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति की धनराशि व्यय हेतु निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर द्वारा प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा उक्त धनराशि चयनित धुनकरों के संबंधित विद्युत कनेक्शन खाता संख्या के सापेक्ष समायोजित कर घटा हुआ विद्युत बिल धुनकर के पक्ष में जारी करेगें। इस प्रक्रिया हेतु संबंधित विद्युत वितरण निगम अपने साफ्टवेयर में यह व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगें।

**VI-सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रेषण:-**

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर से प्राप्त धनराशि के अनुसार धुनकरों के विद्युत बिलों पर छूट प्रदान कर लाभार्थियों की सत्यापित सूची सहित सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर को उपलब्ध करायेंगे। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर द्वारा परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त (हथकरघा) कार्यालयों के माध्यम से उक्त सदुपयोगिता प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराने के उपरान्त समस्त सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र संकलित कर उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपरोक्तानुसार धुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति की योजना से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों के निर्धारण संबंधी यह व्यवस्थाएं 01 जनवरी 2020 से लागू होंगी। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

रमा रमण
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-14/2020/598(1)/63-व0उ0-2020, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
3- निदेशक, (वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
5- मण्डलायुक्त, मुरादाबाद।
6- मुख्य अभियन्ता, नियन्त्रण एवं अनुश्रवण इकाई (वित्तीय) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, चतुर्थ तल, शक्ति भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
7- जिलाधिकारी, अमरोहा।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( पी0 के0 पाण्डेय )
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।